



**आवास अनुभाग**  
**Housing Section**  
**भा.कृ.अ.प.-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान**  
**ICAR-Indian Agricultural Research Institute**  
**नई दिल्ली-12**  
**New Delhi-12**

मिसिल संख्या: 17-3/2019-आ./ । 428

दिनांक: 02/06/2022

परिपत्र

इस अनुभाग के समसंख्यक कार्यालय आदेश दिनांक 30/05/2022 का अवलोकन करें जो कि टाईप-III तीन गुना लाईसेंस शुल्क को सामान्य करने एवं तीन गुना लाईसेंस शुल्क के आधार पर आबंटित कर्मचारियों को टाईप-III में आवास बदलने की स्वीकृति प्रदान करने से संबंधित है। इस संबंध में अनुभाग में आवास परिवर्तन हेतु आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। ऐसा भी देखा जा रहा है कि जो कर्मचारी टाईप-III के आबंटन हेतु पात्र (eligible) नहीं हैं उनके द्वारा भी टाईप-III में आवास आबंटन हेतु आवेदन भेजे जा रहे हैं।

उपरोक्त के संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि वे कर्मचारी जिन्हे पूर्व में तीन गुना लाईसेंस शुल्क के आधार पर टाईप-III का आवास आबंटित किया गया है केवल वे ही टाईप-III में चेंज के पात्र हैं। अन्य कोई भी कर्मचारी जो टाईप-III कि पात्रता नहीं रखता वे आबंटन हेतु पात्र नहीं हैं। इसके अतिरिक्त तीन गुना लाईसेंस फीस के आधार पर टाईप-III में चेंज के पात्र सभी कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि वे अपना आवेदन इस परिपत्र जारी होने के 30 दिनों के भीतर आवास अनुभाग को प्रेषित कर दें अन्यथा भविष्य में उनके आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

यह परिपत्र सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से जारी किया जा रहा है।

## सुहायक प्रशासनिक अधिकारी (आ.)

प्रति सचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु :-

1. समस्त संभागाध्यक्ष/परियोजना निदेशक/यूनिटों के प्रभारी/डी.डी.ओ. कृप्या सत्यापित किये गये रिकॉर्ड को पुनः सुनिश्चित करें।
  2. निदेशक, NCIPM/NIPB, पूसा कैम्पस, भा.कृ.अ.सं., नई दिल्ली-12
  3. निदेशक महोदय के निजी सचिव, भा.कृ.अ.सं., नई दिल्ली-12 को सूचनार्थ
  4. संयुक्त निदेशक (अनुसंधान, प्रसार/प्रशासन/डीन) के निजी सचिव को सूचनार्थ।
  5. प्रभारी, ऐ.के.एम.यू. को इस अनुरोध के साथ कि कृप्या संलग्न दस्तावेजों को संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करवाने की व्यवस्था करें।